न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./137/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. नारणाराम पुत्र राजूराम, उम्र 80 वर्ष 2. पेमाराम पुत्र राजूराम, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट निवासी सनावड़ा, तहसील व जिला बाड़मेर।	1. गोधूराम पुत्र भैराराम, उम्र 65 वर्ष 2. खेमाराम पुत्र अलसाराम, उम्र 65 वर्ष 3. नानगाराम पुत्र चुनाराम, उम्र 55 वर्ष 4. अखाराम पुत्र चुतराराम, उम्र 50 वर्ष 5. खेताराम पुत्र चुतराराम, उम्र 48 वर्ष 6. गेनाराम पुत्र जेठाराम, उम्र 45 वर्ष 7. रूखाराम पुत्र जेठाराम, उम्र 52 वर्ष 8. दीपाराम पुत्र मेहाराम, उम्र 47 वर्ष 9. नेनूदेवी पत्नी मेहाराम, उम्र 70 वर्ष 10. नगाराम पुत्र मेहाराम,उम्र 49 वर्ष 11. अणदाराम पुत्र वालाराम, उम्र 50 वर्ष 12. रावताराम पुत्र वालाराम, उम्र 38 वर्ष 13. दूदाराम पुत्र वालाराम, उम्र 33 वर्ष 14. रूखमों पत्नी वालाराम, उम्र 70 वर्ष 15. संताराम पुत्र नारणाराम, उम्र 55 वर्ष 16. ठाकराराम पुत्र नारणाराम, उम्र 52 वर्ष 17. पांचीदेवी पत्नी किरताराम, उम्र 38 वर्ष 18. मीना कुमारी पुत्री किरताराम, उम्र 19 वर्ष 19. अनी कुमारी पुत्री किरताराम, उम्र 18 वर्ष 20. पवन कुमार पुत्र किरताराम, उम्र 17 वर्ष 21. विशन पुत्र रिताराम, उम्र 15 वर्ष 22. भरत पुत्र किरताराम, उम्र 13 वर्ष, रेस्पों. संख्या 20, 21 व 22 जरिये कुदरती वली माता पांची देवी 23. देवाराम पुत्र मालाराम, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी सनावडा, तहसील व जिला बाड़मेर।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध श्रीमान परगना अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/1971 बउनवान भैरा बनाम अलसा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.1971 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री सुरेश चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी उतरदाता की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांकः—23.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी भैरा पुत्र सादुला ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा सनावडा, तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 460 रकबा 868.07 बीघा की आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज—काश्त हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाया जाकर बिना विभाजन प्रस्ताव के ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि संगत नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों का गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी भैरा पुत्र सादुला ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी खेत मौजा सनावडा, तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 460 रकबा 868.07 बीघा की आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा कब्जा काश्त है। वादी का राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज–काश्त हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर बाद तामील अपीलांट व अन्य रेस्पों. के पूर्वजों द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वाद व जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद का अंतिम रूप से निर्णीत करते हुये बिना विभाजन प्रस्ताव मंगवाये ही वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर दिंया, जो विधि संगत नहीं है। विधि अनसुार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम करते हुए न्याय संगत निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये व बिना साक्ष्य सबुत के ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई और ना ही कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत मंगवाया जाना आज्ञापक होता है। किन्तु उक्त समस्त विधिक तथ्यों का अपीलाधीन निर्णय में अभाव पाया गया है। विभाजन प्रस्ताव तलब नहीं किये जाने के कारण पक्षकारान के कब्जा–काश्त अनुसार बंटवारा नहीं हो सका। सभी पक्षकारान का कब्जा–काश्त अन्य पक्षकारान को स्थानातंरित हों गये जो विधि की घोरी अवहेलना की श्रेणी में आता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय आनन–फानन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर पुनः उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करावें।

उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पों. हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान काबिज–काश्त हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलांट व अन्य रेस्पों. के पूर्वजों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद को स्वीकार किया गया था। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के निवेदन को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पों. (वादीगण) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिसको आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश में सहमति की डिक्री पारित करने का तथ्य उल्लेखित किया गया है ऐसे तथ्यों की कोई भी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादी के कब्जे काश्त में रेस्पो./वादी द्वारा न तो दखल किया गया और न ही कभी मौके पर आए। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ज्ञान ही नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद अपीलांट्स के पूर्वज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इसके बाद इनके द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट स्वयं पढे–लिखे होने से इनको अज्ञानता की बातों पर विश्वास किया जाना उचित नहीं होगा। विधि अनुसार अपील करने की समय सीमा 60 दिवस है लेकिन हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा लगभग 55 वर्षों बाद पेश की गई है, जिसे बिना किसी वास्तविक कारण के माफ किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा। उक्तानुसार अपीलांट के पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत माफिक इकबालिया जवाब स्वीकार किया गया था। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं मिंयाद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में सारवान बिन्दु निहित होने से हाजा न्यायालय की राय में इसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के विधिक प्रावधान अनुसार जवाब दावा, साक्ष्य लेकर तनकीयात कायम करते हुए वादग्रस्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आराजी के कब्जा–काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित कर हिस्सों अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए अंतिम डिक्री पारित की जानी आवश्यक थी, लेकिन उक्त विधिक तथ्यों का अपीलधीन निर्णय में अभाव प्रतीत होता है। अपीलधीन निर्णय में बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये व बिना विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए हिस्से खोले बिना ही अपीलधीन निर्णय पारित किया गया है जो हाजां न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्तानसुार विचारण न्यायालय ने मूल वाद में वादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में उक्त सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर श्रीमान परगना अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/1971 बउनवान भैरा बनाम अलसा वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.1971 विधि की पूर्ण पालना के अभाव में अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

23/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर